कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कबीरधाम

क्रमांक /2051/आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2020–21 कबीरधाम दिनांक 31/12/2020

प्रति,

सर्व प्राचार्य
शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय,
....
विकासखण्ड–कवर्धा/बोडला/पंडरिया/स.लोहारा
जिला–कबीरधाम(छ.ग.)

विषय :– वर्ष 2020–21 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन एवं स्वीकृति करने बाबत्।

संदर्भ :– आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास इंद्रावती भवन अटल नगर रायपुर का पत्र क्रमांक/ऑ.ला.पो.मै.छा./118/2020–21/6858 नवा रायपुर दिनांक 31.12.2020

––––00––––

उपरोक्तानुसार विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा वर्ष 2020–21 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आपके महाविद्यालय में अध्ययनरत् पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन पोर्टल में पंजीयन/स्वीकृति का कार्य (कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं को छोडकर) की स्वीकृति एवं वितरण की कार्यवाही http://mpsc.mp.nic.in/CGPMS वेबसाइट पर ऑनलाईन प्रारंभ की जा चुकी है।

जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों के पंजीयन एवं संस्थाओं के प्रस्ताव/स्वीकृति लॉक करने हेतु विभाग द्वारा तिथि में वृद्धि कर वर्ष 2020–21 में निम्नानुसार तिथि निर्धारित की गई है:–

क्र.	प्रकिया	अंतिम तिथि
1	2	3
1	विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन हेतु (नवीन/नवीनीकरण)	दिनांक 01.01.2021 से 10.01.2021
2	Draft Proposal Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2021 से 15.01.2021 तक
3	Sanction Order Lock करने हेतु	दिनांक 01.01.2021 से 15.01.2021 तक

वर्तमान सत्र में भारत सरकार के गाईडलाईन का पालन करते हुए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पोर्टल के अनुसार कार्यवाही किये जाने का निर्देश है, निर्देशानुसार तृतीय समय पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के समयावधि में वृद्धि की गई है।

कृपया निर्धारित तिथि को विशेष ध्यान रखते हुए, शिक्षा सत्र 2020–21 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति हेतु आवेदन स्वीकृति की कार्यवाही नहीं किये जाने की स्थिति में Draft Proposal Lock अथवा Sanction Order Lock करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया जायेगा। संबंधित संस्थाओं के विद्यार्थी छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते है, इसके लिए संस्था प्रमुख स्वतः जिम्मेदार होंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम

पृ0क्रमांक /2051/आजाक/पो.मै.ऑन.छात्र./2020–21 कबीरधाम दिनांक 31/12/2020

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, जिला कबीरधाम की ओर सादर सूचनार्थ।
3. सहायक संचालक, जनसंपर्क कबीरधाम की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि कृपया उपरोक्तानुसार जानकारी स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करेंगे।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कबीरधाम